

डिक्री नमूकदमें इबादाई  
( आदेश 20 नियम 6,7 जाक्ता दीवानी )

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-छापड़ा

गु0न0 25/2018

वादीगण-

1. रामुराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. पदमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल जिला- नागौर।
2. मुनी पुत्री पदमाराम पत्नी हिम्मताराम जाति जाट निवासी खावड़ियाना
3. संतोष पुत्री पदमाराम पत्नी तेजाराम निवासी सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88,188  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-07.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी सख्या 1 रामुराम के हक बंट में मौजा छापड़ा का खेत ख.न. 612 रकबा 22 बीघा व ख नं 614 रकबा 10 बीघा 16 विश्वा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी सख्या 1 से 3 कमश -पदमाराम, मुनी, संतोष के सामलाती हक बंट में मौजा छापड़ा का खेत ख न 677 रकबा 1 बीघा 15 विश्वा रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार जायल को डिक्की पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसीक्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

मुहर्द	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					



नोट :- इस खेत के फार्म में खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही करना पड़ेगा।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-छापड़ा

मांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/32

दिनांक- 7.5.18

तहसीलदार जायल को डिक्की आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्की आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालनी रिपोर्ट आज ही पेश करे।

प्रतिवादीगण  
Deu

उपखण्ड अधिकारी, जायल  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर